

तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से पत्रावली सीगट से तहसिल की गई। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। बाद प्रकरण में एक पक्षीय कार्यविधि होने से वकील वादीया ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाइनल डिक्री किये जाने की सहमति हो गई। इस पर प्राप्त फर्द बेटवाडा का, व न्यायालय हाजि द्वारा जारी डिक्री एवं हुक्मनामा आदेश का अवलोकन किया गया। बाद जॉय अवलोकन के बाद फर्द बेटवाडा न्यायालय के आदेशानुसार ही प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाह वादीया निम्न प्रकार से फाइनल डिक्री किया जाता है।

मौजा-बडवाई - नाम स्वामीदार	आ.नं.	रकबा	कुल
(1) मंजु, ललिता	1032/1	0.1656	2.48
पिता शंकर लाल	434/1	0.1268	0.63
ब्राह्मण साहेब स्वामीदार			

कुल - 2 0.2924 3.11



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज			नम्बर अहका हुकम सं जा
	(2) कैलाश, बंशीलाल भगतवी मोहनी लक्ष्मी पिता केदार लाल बासण साहेब स्वामिदार	1031 1032/2 1034 434/2	0.3673 0.1261 0.2809 0.6942	5-25 1.90 3.61 3.19
	किरा - 4      1.4685      13.9			
	(3) शागलाही तदस्तूर	1033	0.0540 आ.या.	
	किरा - 1      0.0540 आ.या.			
	<p>उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में कमलशामद डिमा            आवे इसी धाराशय का डिक्ली पर्प अलग से प्रतिक            होम्स सेलम पत्रावली हो। पत्रावली कैलस शुमार            होकर नम्बर से कम थे।</p>			
	उपलब्ध अधिकारी, इंगला			